अपील संख्या 52/2017 एल आर एक्ट
अनवान सरस्वती बनाम हरिसिंह वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
25–06–2019	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार पारीक द्वारा आज प्रार्थना पत्र पेश कर विड्रा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवदेन करने पर पत्रावली आज तारीख पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 12.6.19 को पेश विड्रा प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ पर बहस कर कंहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट में समझौता हो गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट आपस में भाई बहिन है। अपीलाट अब अपील को आगे चलाना नही चाहती है, अतः अपील (WITHDRAW) विड्रा फरमाई जावे। राजकीय अभिभाषक ने अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील विड्रा करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश विड्रा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इस न्यायालय में यह अपील अपीलांट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के अपील संख्या 7/11 निर्णय दिनांक 07–07–2011 के विरूद्व पेश की गई है। अभिभाषक अपीलाट स्वय इस अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा राजकीय अभिभाषक ने भी अपील विड्रा करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया। अतः विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट जरिये (WITHDRAW) विड्रावल खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर	अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया 122-123 5-7-19